

सराहनीय कार्य जनपद बागपत।

- थाना चांदीनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ढिकौली में मंदबुद्धि युवक की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए संलिप्त बाल अपचारी सहित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक चाकू नाजायज बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 30.08.2020 को थाना चांदीनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ढिकौली में सुषील उम्र 29 वर्ष पुत्र राजेन्द्र निवासी ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत की हत्या कर षव को ईख के खेत में फेंक दिया है। इस सम्बन्ध में मृतक सुषील के पिता राजेन्द्र की लिखित तहरीर के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 141/2020 धारा 302, 201 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी खेकडा के नेतृत्व में थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा आज दिनांक 02.09.2020 को सुबह समय करीब 09:00 बजे मुखबिर की सूचना पर ग्राम पांची चौराहे से सुषील उम्र 29 वर्ष की हत्या की घटना में संलिप्त अभियुक्त 1—लोकेन्द्र पुत्र सतपाल निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर 2—बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त लोकेन्द्र के कब्जे से एक चाकू नाजायज बरामद किया गया है। अभियुक्त लोकेन्द्र थाना चांदीनगर का हिस्ट्रीशीटर है। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना चांदीनगर पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ में प्रकाष में आये तथ्य—

पूछताछ से यह ज्ञात हुआ कि अभियुक्तों द्वारा अत्याधिक षराब के नषे में होने के कारण मृतक मंदबुद्धि सुषील के साथ कुकर्म की घटना कारित की गई तथा नषे की हालत मे ही अभियुक्तों द्वारा मृतक मंदबुद्धि सुषील के हाथ—पैर कपडे से बांधकर ईख के खेत में डाल दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता—

- 1—लोकेन्द्र पुत्र सतपाल निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 2—बाल अपचारी।

बरामदगी का विवरण—

- 1—अवैध एक चाकू।

अभियुक्त लोकेन्द्र का अपराधिक इतिहास:—

- 1—मु0अ0सं0 77/2001 धारा 302 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 2—मु0अ0सं0 85/2001 धारा 25 षस्त्र अधिनियम थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 3—मु0अ0सं0 132/2002 धारा 307, 506 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 4—मु0अ0सं0 142/2002 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 5—मु0अ0सं0 144/2002 धारा 25/27 षस्त्र अधिनियम थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 6—मु0अ0सं0 100/2004 धारा 147, 148, 149, 307 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 7—मु0अ0सं0 277/2004 धारा 25 षस्त्र अधिनियम थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 8—मु0अ0सं0 122/2007 धारा 302, 307, 506, 427 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 9—मु0अ0सं0 146/2007 धारा 25/27 षस्त्र अधिनियम थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 10—मु0अ0सं0 123/2007 धारा 307 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 11—मु0अ0सं0 141/2020 धारा 302, 201, 377 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

- **थाना बडौत पुलिस द्वारा षस्त्र अधिनियम में एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक पिस्टल 32 बोर मय 02 जिंदा कारतूस नाजायज बरामद।**
थाना बडौत— पुलिस द्वारा आज दिनांक 02.09.2020 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान मलकपुर मोड से अभियुक्त अरुण तोमर पुत्र कुलबीर सिंह निवासी ग्राम जोनमाना थाना बडौत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से एक पिस्टल 32 बोर मय 02 जिंदा कारतूस नाजायज बरामद की गई है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।
- **थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक मो0सा0 होण्डा साईन नाजायज बरामद।**
थाना कोतवाली बागपत— पुलिस द्वारा दिनांक 01/02.09.2020 को अभियुक्त 1—नौमान पुत्र साजिद 2—विपिन पुत्र अशोक निवासी गण ग्राम तेडा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी का एक मोटरसाईकिल होण्डा साईन नम्बर—एचआर—10जे—8025 नाजायज बरामद की गई है। अभियुक्तों द्वारा दिनांक 06.03.2020 को कचहरी परिसर बागपत से जगदीश चन्द पुत्र भगवान सिंह निवासी कबीरपुर सोनीपत हरियाणा की मो0सा0 होण्डा साईन नम्बर—एचआर—10जे—8025 चोरी की घटना कारित की गई थी। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 146/2020 धारा 379, 411 भादवि में अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली बागपत पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।
- **थाना बिनौली पुलिस द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का एक प्लास्टिक ड्रम बरामद।**
थाना बिनौली— पुलिस द्वारा आज दिनांक 02.09.2020 को ग्राम फजलपुर से अभियुक्त दीपक उर्फ मोदा पुत्र बारू निवासी ग्राम बिजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी का एक प्लास्टिक ड्रम बरामद किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बिनौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।
- **थाना दोघट पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम में एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक स्कूटी मय 90 पक्वा देशी षराब नाजायज बरामद।**
थाना दोघट— पुलिस द्वारा दिनांक 01.09.2020 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान मैनेजमेन्ट ढाबा पुसार के पास से अभियुक्त राजकुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से एक टीवीएस स्कूटी नम्बर—यूपी—17आर—2715 मय 90 पक्वा देशी षराब यूपी मार्का नाजायज बरामद की गई है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।
- **थाना बडौत पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**
थाना बडौत— पुलिस द्वारा आज दिनांक 02.09.2020 को मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र से मु0अ0सं0 697/2020 धारा 452, 323, 308, 354 भादवि में वांछित अभियुक्त 1—मुषाहिद पुत्र सुम्मन 2—इरषाद पुत्र भुल्लन निवासी गण ग्राम औसिक्का थाना बडौत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बडौत पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।